

मुकदमों का विवरण

ई. एस. आई. निगम, आर. ई. पी. क्षेत्रीय निदेशक द्वारा

बनाम

मेसर्स एंडोक्रिनोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी लैब (2012 की सिविल अपील No.3368)

02 अगस्त, 2023

[हिमा कोहली और राजेश बिंदल, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:जिस तारीख से प्रतिवादी प्रतिष्ठान, एक पैथोलॉजिकल प्रयोगशाला को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 -धारा 1 (5)-यू/एस को प्रदत्त शक्ति के संदर्भ में जारी की गई अधिसूचना दिनांक 06.09.2007।1(5) -उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1948 के अधिनियम के प्रावधान प्रत्यर्थी डब्ल्यू. ई. एफ. 06.09.2007 पर लागू होंगे न कि 22.11.2002-वैधता से:

आयोजित किया गया:प्रत्यर्थी को अधिसूचना dtd.06.09 के संदर्भ में अधिनियम के अंतर्गत कवर किया जाएगा।2007 केरल सरकार द्वारा उस तारीख से पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं सहित चिकित्सा संस्थानों को शामिल करते हुए जारी किया गया, जहां 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत थे-अधिसूचना यू/एस को प्रदान की गई शक्ति के संदर्भ में जारी की गई थी।1(5) निगम के परामर्श से और केंद्र सरकार की मंजूरी से अधिनियम-यदि रोग विज्ञान प्रयोगशालाएं पहले से ही अधिनियम के अंतर्गत शामिल थीं, जैसा कि अपीलकर्ता-निगम द्वारा आग्रह किया गया था, तो ऐसी अधिसूचना जारी करने का कोई अवसर नहीं था-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश उस तारीख से प्रतिवादी प्रतिष्ठान के कवरेज को निर्देशित करने वाली उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में है, क्योंकि निर्विवाद रूप से, 20 या अधिक व्यक्तियों को प्रतिष्ठान में नियोजित पाया गया था- अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी "दुकान" शब्द के भीतर आया और यह अधिसूचना डी. टी. डी. के संदर्भ में शामिल है।27.05.1976 -यह तर्क कि प्रत्यर्थी को उक्त अधिसूचना आर/डब्ल्यू परिपत्र डीटीडी के संदर्भ में शामिल माना जाना चाहिए।22.11.2002, अस्वीकृत-अपील अस्वीकृत।

159

[पैरा 10,12-16] 160 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948।1(4), 2(12), 14(ए. ए.)-प्रतिवादी प्रतिष्ठान, एक पैथोलॉजिकल प्रयोगशाला यदि यू/एस में शामिल है।1(4) बशर्ते कि यह अधिनियम

मौसमी कारखानों के अलावा अन्य सभी कारखानों (सरकार से संबंधित कारखानों सहित) पर लागू होगा:

आयोजित किया गया: नहीं-"कारखाना" शब्द को यू/एस परिभाषित किया गया है। 2(12) - "विनिर्माण प्रक्रिया को एस में परिभाषित किया गया है। 14 (एए) इसे एक अर्थ देना जैसा कि इसे यू/एस सौंपा गया है। 2(के), कारखाना अधिनियम, 1948-प्रत्यर्थी प्रतिष्ठान यू/एस के अंतर्गत नहीं आएगा। 1(4) क्योंकि यह एक "कारखाने" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं की जाती है। [पैरा 7 (iii), (iv) और 8]

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपील की अधिकारिता सिविल अपील No.3368

2012.

2008 के आई. ए. सं. 4 में एनर्कुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 21.08.2008 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

कुमार राजेश सिंह, श्रीमती निरंजना सिंह, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। सुश्री रितिका सिन्हा, सिद्धार्थ झा, अधिवक्ता। प्रत्यर्थियों के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

राजेश बिंदल, जे।

1. केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 दिनांकित आदेश को निगम 1 द्वारा चुनौती दी गई है जिसके द्वारा प्रतिवादी के नेतृत्व में अपील 2 एफ. आई. को अनुज्ञात गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम 3 के प्रावधान प्रतिवादी प्रतिष्ठान डब्ल्यू. ई. एफ. 06.09.2007 पर लागू होंगे न कि 22.11.2002 4 पर।

1 कर्मचारी राज्य बीमा निगम 2 इंसा. ऐप. 2008 की सं. 4 (ए)

3 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (इसके बाद 'अधिनियम') 4 आक्षेपित क्रम में 24.11.2002 161 के रूप में गलत तरीके से टाइप किया गया

ई. एस. आई. निगम, आर. ई. पी. क्षेत्रीय निदेशक बनाम।

मेसर्स एंडोक्रिनोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी लैब [राजेश बिंदल, जे.]

2. संक्षिप्त में कहा गया है कि अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार, प्रतिवादी प्रतिष्ठान एक रोगजनक प्रयोगशाला है। प्रतिवादी के परिसर का निरीक्षण निरीक्षक द्वारा 01.04.1999 पर किया गया था। यह पता चलने पर कि प्रतिष्ठान में 19 कर्मचारी काम कर रहे थे, प्रतिवादी को

कारण दशाईं नोटिस जारी किया गया था।प्रत्यर्थी प्रतिष्ठान ने कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 75 और 77 के अंतर्गत एक आवेदन दायर करके प्रतिष्ठान के कवरेज को चुनौती दी।न्यायालय ने आई. सी. No.13/2003 में पारित दिनांक 19.04.2007 के आदेश के माध्यम से घोषणा की कि प्रत्यर्थी की स्थापना अधिनियम की धारा 1 (5) के अनुसार एक 'दुकान' है और अधिनियम के प्रावधान प्रत्यर्थी डब्ल्यू. ई. एफ. 22.11.2002 तक विस्तारित होंगे।ई. एस. आई. न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी के नेतृत्व में एक समीक्षा आवेदन 5 एफ. आई. को दिनांक 21.12.2007 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।ई. एस. आई. न्यायालय के आदेशों को प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी जिसे आक्षेपित आदेश के माध्यम से अनुज्ञात गई थी।

3. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के अनुरूप नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.05.1976 के संदर्भ में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल होगा। उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में, यदि पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 10 या अधिक व्यक्ति किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं, जिसमें एक "दुकान" शामिल है, तो यह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। प्रतिवादी प्रतिष्ठान एक दुकान होने के नाते, स्पष्ट रूप से कवर किया गया था।निरीक्षण के बाद, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.1999 कवरेज के लिए प्रतिवादी को एक नोटिस जारी किया गया था।हालांकि, पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं और नैदानिक केंद्रों के कवरेज के लिए निगम द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2002 को देखते हुए, प्रतिष्ठान को 22.11.2002 से कवर किया गया था।यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय अंतर्गत आदेश कि प्रतिवादी प्रतिष्ठान डब्ल्यू. ई. एफ.

06.09.2007 अधिनियम के अंतर्गत आया, गलत है।4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।केरल सरकार द्वारा जारी 27.05.1976 दिनांकित अधिसूचना, प्रत्यर्थी के पास जिस प्रकार की स्थापना है, जो कि पैथोलॉजिकल प्रयोगशाला है, उसे शामिल नहीं करती है।कल्पना के किसी भी विस्तार से इसे एक दुकान के रूप में नहीं कहा जा सकता है, जहां केवल खरीद और बिक्री की गतिविधियाँ होती हैं, न कि प्रतिवादी द्वारा लगाए गए विशेषज्ञों द्वारा निष्पादित कार्य।वास्तव में, चिकित्सा संस्थान

5 एम. पी. No.159/2007 162

/

[2023] 11 एस सी आर।

जिसअंतर्गत 20 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने वाले नर्सिंग होम, नैदानिक केंद्र और पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाएं शामिल थीं, उन्हें केरल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 6 के

माध्यम से अधिनियम के दायरे अंतर्गत लाया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश उक्त अधिसूचना के अनुरूप है। अतः वर्तमान याचिका खारिज किए जाने के योग्य है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है।

6. इस न्यायालय द्वारा जिस संक्षिप्त प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, वह वह तिथि है जिस तारीख से प्रतिवादी प्रतिष्ठान, जो निर्विवाद रूप से एक पैथोलॉजिकल प्रयोगशाला का व्यवसाय कर रहा है, अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। 7.(i) अधिनियम की धारा 1 (4) में प्रावधान है कि यह अधिनियम मौसमी कारखानों के अलावा सभी कारखानों (सरकार से संबंधित कारखानों सहित) पर लागू होगा। उपरोक्त धारा के प्रावधान में कहा गया है कि यह उप-धारा सरकार से संबंधित या उसके नियंत्रण वाले कारखाने या प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होती है, जिसके कर्मचारी अन्यथा अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभों के समान या उससे अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

(ii) अधिनियम की धारा 1 (5) में प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार, निगम के परामर्श से और जहां उपयुक्त सरकार एक राज्य सरकार है, केंद्र सरकार के अनुमोदन से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके अधिनियम के प्रावधानों को किसी अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग तक बढ़ा सकती है।

((iii) अधिनियम की धारा 2 (12) के अंतर्गत "कारखाना" शब्द की अवहेलना की गई है। जैसा कि प्रासंगिक समय में मौजूद था, उसमें कोई भी परिसर और उसका हिस्सा शामिल था जिसमें बिजली की सहायता के साथ या उसके बिना विनिर्माण प्रक्रिया की जा रही है। एकमात्र अंतर यह था कि सत्ता की सहायता से प्रतिष्ठान में काम करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या 10 या उससे अधिक थी, जबकि सहायता शक्ति के बिना मामलों में आवश्यक संख्या 20 या उससे अधिक थी। इसमें खान अधिनियम, 1952 के संचालन के अधीन एक खदान या एक रेलवे रनिंग शेड शामिल नहीं था। ((iv) "विनिर्माण प्रक्रिया" शब्द को अधिनियम की धारा 14 (ए. ए.) में एक अर्थ देने के लिए अवहेलना की गई है जैसा कि इसे कारखानों में सौंपा गया है।

6 तिथि 06.09.2007 163

ई. एस. आई. निगम, आर. ई. पी. क्षेत्रीय निदेशक बनाम।

मेसर्स एंडोक्रिनोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी लैब [राजेश बिंदल, जे.] 164

अधिनियम, 1948। इसे कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (के) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"2(के) "विनिर्माण प्रक्रिया" का अर्थ है -

((i) किसी वस्तु या पदार्थ को उसके उपयोग, बिक्री, परिवहन, वितरण या निपटान की दृष्टि से बनाना, बदलना, मरम्मत करना, अलंकरण करना, फिशिंग करना, पैकिंग करना, तेल लगाना, धोना, सफाई करना, तोड़ना, ध्वस्त करना या अन्यथा उपचार करना या अनुकूलित करना; या

((ii) तेल, पानी, सीवेज या कोई अन्य पदार्थ पंप करना; या (iii) बिजली का उत्पादन, परिवर्तन या संचारण; या

((iv) लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, फोटोग्रावर या अन्य समान प्रक्रिया या बुक बाइंडिंग द्वारा मुद्रण, मुद्रण के लिए रचना प्रकार; या

(v) जहाजों या जहाजों का निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, मरम्मत, मछली मारना या उन्हें तोड़ना; या

((vi) किसी भी वस्तु को शीतागार में संरक्षित या संग्रहीत करना।

8. अधिनियम में उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन पर, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रतिवादी की स्थापना अधिनियम की धारा 1 (4) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आएगी क्योंकि यह "कारखाने" की अवज्ञा के दायरे में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं की जाती है। यह अपीलार्थी का मामला भी नहीं है। प्रतिवादी प्रतिष्ठान केवल एक पैथोलॉजिकल प्रयोगशाला है।

9. अपीलार्थी द्वारा लिया गया रुख यह है कि प्रत्यर्थी प्रतिष्ठान को केरल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.05.1976 को ध्यान में रखते हुए शामिल किया जाएगा, जिसका प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

“केरल सरकार

श्रम (ई) विभाग

सूचना

16141/ई 2/75 एलबीआर दिनांकित, त्रिवेंद्रम 27 मई 1976

एस. आर. ओ. No.559/76-1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 34) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल सरकार पहले ही इसके तहत आवश्यक छह महीने का नोटिस दे चुकी है। केरल सरकार की अधिसूचना No.16141/E2/75 LBR दिनांक 5.11.1975 राज्य राजपत्र दिनांक 18.11.1975 में SRO BNO.1070/75 के रूप में प्रकाशित की गई है, जिसके द्वारा 29 तारीख की मध्यरात्रि की नियुक्ति की गई है, जिसका विस्तार प्रतिष्ठानों के वर्गों और उन क्षेत्रों में होगा जो यहाँ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए हैं:-

अनुसूची

प्रतिष्ठान का विवरण	जिस क्षेत्र में प्रतिष्ठान स्थित हैं
1	/
XXX	XXX
निम्नलिखित प्रतिष्ठानों में 10 या उससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं या जहां पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन के लिए कार्यरत हैं: होटल रेस्तरां दुकानें सड़क मोटर परिवहन प्रतिष्ठान सिनेमा जिसमें खाने वालों के समाचार पत्रों का पूर्वावलोकन शामिल है, कामकाजी पत्रकार (सेवा की शर्तें और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 2 (डी) की अवहेलना करता है।	पूरा केरल राज्य जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 34) की धारा (3) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के अध्याय IV, V और VI के लाभ प्रावधान पहले ही लागू किए जा चुके हैं, उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां योजना को 29 मार्च 1975 की मध्यरात्रि से प्रभावी होने के साथ पहले ही बढ़ा दिया गया है, 25 मार्च 1975 को केरल राजपत्र में एस. आर. ओ. <आई. डी. 2 के रूप में प्रकाशित अधिसूचना No.22877 ई 2/73 एल. बी. आर. द्वारा।

10. अपीलार्थी द्वारा उठाया गया तर्क यह है कि प्रत्यर्थी प्रतिष्ठान "दुकान" शब्द के भीतर आएगा और इसे उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में शामिल किया जाना चाहिए।

11. प्रतिवादी प्रतिष्ठान को 27.04.2001 पर एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कुछ अभिलेख को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इसका भी जवाब दिया गया। हालाँकि यह

दावा किया जाता है कि प्रत्यर्थी प्रतिष्ठान को दिनांक 2 की अधिसूचना के संदर्भ में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, हालाँकि, ई. एस. आई. न्यायालय के समक्ष, निगम द्वारा 3 पर जारी एक पत्र पर भरोसा रखा गया था, जिसके माध्यम से पहले के एक ज्ञापन दिनांक 1 को संशोधित किया गया था। उपरोक्त ज्ञापन पत्र के संदर्भ में, पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाएं और निदान केंद्र "दुकान" की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं थे। यह विवादित नहीं था कि इस तरह की "दुकान" अधिनियम के अंतर्गत अमान्य नहीं है। सुनवाई के समय, केरल सरकार द्वारा कुछ प्रतिष्ठानों को अधिनियम के दायरे में लाने के लिए जारी अधिसूचना दिनांक 06.09.2007 पर भी भरोसा रखा गया था।

12. यह विवाद का विषय नहीं है कि इस तरह की अधिसूचना 165 के परामर्श से अधिनियम की धारा 1 (5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के संदर्भ में जारी की जाती है।

ई. एस. आई. निगम, आर. ई. पी. क्षेत्रीय निदेशक बनाम।

मेसर्स एंडोक्रिनोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी लैब [राजेश बिंदल, जे.] 166

निगम और केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ। उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में, नैदानिक और पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं सहित चिकित्सा संस्थानों, जहां 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत थे, को शामिल किया गया था। उक्त अधिसूचना के प्रासंगिक भाग को नीचे निकाला गया है:

“केरल सरकार

श्रम और पुनर्वास (एफ) विभाग अधिसूचना

जी. ओ (पी) संख्या/116/2007 एल. बी. आर. दिनांकित, तिरुवनंतपुरम 6 सितंबर 2007

एस. आर. ओ. No.749/2007-कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 34) की धारा 1 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केरल सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से और केंद्र सरकार की मंजूरी से और ऐसा करने के अपने इरादे की छह महीने की सूचना देने के बाद, उक्त अधिनियम के प्रावधानों को यहां संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट और कॉलम (2) में निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्ठानों के वर्गों तक तत्काल प्रभाव से विस्तारित किया।

अनुसूची

प्रतिष्ठान का विवरण	जिन क्षेत्रों में प्रतिष्ठान स्थित हैं
चिकित्सा संस्थान (जिसमें निगमित,	जिन क्षेत्रों में योजना को अधिनियम की

संयुक्त क्षेत्र, न्यास, धर्मार्थ और निजी स्वामित्व वाले अस्पताल, नर्सिंग होम, नैदानिक केंद्र, पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाएं शामिल हैं, जिसमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं या पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन कार्यरत थे।	धारा 1 की उप-धारा (2) और (5) के बिना लागू किया गया है।
---	--

13. उपरोक्त अधिसूचना के अवलोकन से पता चलता है कि पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाएं उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विशिष्ट रूप से शामिल थीं। हाथ में मामले में, प्रतिवादी पैथोलॉजिकल प्रयोगशाला चला रहा है और सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 06.09.2007 के संदर्भ में अधिनियम के अंतर्गत कवर किया जाएगा

/

[2023] 11 एस सी आर।

केरल। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश उस तारीख से प्रतिवादी प्रतिष्ठान के कवरेज को निर्देशित करने वाली उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में है, क्योंकि निर्विवाद रूप से, 20 या अधिक व्यक्तियों को प्रतिष्ठान में नियोजित पाया गया था।

14. अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी प्रतिष्ठान को निगम द्वारा जारी किए गए परिपत्र दिनांक 22.11.2002 के साथ पठित 27.05.1976 पर जारी अधिसूचना के संदर्भ में शामिल माना जाना चाहिए, केवल ध्यान दिया जाना चाहिए और खारिज कर दिया जाना चाहिए। यह स्वीकार किया जाता है कि निगम का ही मामला है कि अधिनियम के अंतर्गत "दुकान" शब्द की अवहेलना नहीं की गई है। "निगम" की समझ के अनुसार इसे एक अर्थ देने की मांग की गई थी। उपरोक्त पत्र के खंड 23 से पता चलता है कि पहले के ज्ञापन दिनांक 06.01.1989 के अनुसार भी, पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाएं अधिनियम की धारा 1 (5) के अंतर्गत दुकानों के रूप में शामिल नहीं थीं। उपरोक्त ज्ञापन पत्र को बाद में 22.11.2002 दिनांकित ज्ञापन पत्र के माध्यम से संशोधित किया गया था।

15. इसके अलावा, तथ्य यह है कि केरल सरकार द्वारा 06.09.2007 पर एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें उस तारीख से पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं सहित चिकित्सा संस्थानों को शामिल किया गया है। उपरोक्त अधिसूचना निगम के परामर्श से और केंद्र सरकार की मंजूरी से

जारी की गई थी। यदि पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाएं पहले से ही अधिनियम के अंतर्गत शामिल थीं, जैसा कि निगम द्वारा आग्रह किया गया है, तो इस तरह की अधिसूचना जारी करने का कोई अवसर नहीं था। यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि निगम की समझ के अनुसार भी, पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाएं उस तारीख से पहले अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती थीं।

16. उपरोक्त कारणों से, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं रखते हैं। इसी को एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे